महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत

NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA

दूरभाष/ Phone: 0151-2212044 फैक्स/ Fax: 2212042 ई-मेल/ E-mail: mgsubikaner@gmail.com

क्रमांक प.07(334)मगंसिविबी/बोम–21/2013/ 4052-4068 दिनांक 25.3.2013

समस्त सदस्य
प्रबन्ध मण्डल,
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,
बीकानेर (राज.)

विषय :– प्रबन्ध मण्डल की 21 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 16–03–2013 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की 21 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय,

कुलसचिव

क्रमांक प.07(334)मगंसिविबी/बोम–21/2013/ 4069-4090 दिनांक 25.3.2013

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने विभाग/अनुभाग से संबंधित एजेण्डा बिन्दु पर लिये गए निर्णयानुसार पालना कर प्रालना प्रतिवेदन कुलसचिव कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करे–

1. वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. परीक्षा नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
4. उप कुलसचिव (शैक्षणिक), महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
5. निदेशक,शोध, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
6. सम्पदा अधिकारी/सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा), महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. पुस्तकालयाध्यक्ष, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
8. सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/शैक्षणिक/नामाकंन), महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
9. सहायक लेखाधिकारी/समस्त अनुभाग अधिकारी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
10. रक्षित पत्रावली।

उप कुलसचिव(संस्था)

प्रबन्ध मण्डल की 21 वीं बैठक दिनांक 16–03–2013 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 21 वीं बैठक दिनांक 16–03–2013 को दोपहर 02:00 बजे कुलपति सचिवालय में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :–

1. श्री आनन्द कुमार – अध्यक्ष
2. डॉ. परम नवदीप सिंह – सदस्य
   (माननीया विधायक, संगरिया)
3. श्री दौलत राज समेजा – सदस्य
   (माननीय विधायक, रायसिंहनगर)
4. प्रो. एल. एन. गुप्ता – सदस्य
   (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)
5. प्रो. रविन्द्र शर्मा – सदस्य
   (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)
6. डॉ. के.एस. यादव – सदस्य
   (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)
7. प्रो. आर.एन.शर्मा – सदस्य
   (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)
8. श्री देदाराम – सदस्य
   (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य)
9. डॉ. विमलेन्दु तायल – सदस्य
   (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित निजी महाविद्यालय प्राचार्य)
10. प्रो. एम.एम. सक्सेना – सदस्य
    (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)
11. प्रो. एस.के. भनोत
    (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय आचार्य)
12. प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल – सदस्य
    (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय आचार्य)
13. श्री राजीव कुमार भाकल – सदस्य सचिव

बैठक के प्रारम्भ में उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रबन्ध मण्डल अध्यक्ष श्री आनन्द कुमार का स्वागत किया गया। साथ ही सदस्य सचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा निवर्तमान अध्यक्ष प्रो. गंगाराम जाखड़ के द्वारा विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में सम्पादित कार्यों की सराहना की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की बिन्दुवार कार्यवाही प्रारम्भ

की गई। बैठक में प्रस्तुत बिन्दुओं पर विचार–विमर्श उपरान्त लिये गए निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है :–

एजेण्डा बिन्दु संख्या – मगंसिविबी / बोम–21 / 2013 / 251

प्रबन्ध मण्डल की 20 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 20 वीं बैठक दिनांक 18–10–2012 का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को पूर्व में भेजा जा चुका हैं। कार्यवाही विवरण की प्रति पुनः संलग्न कर विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न : कार्यवाही विवरण

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल की 20 वीं बैठक दिनांक 18–10–2012 के कार्यवाही विवरण में निम्न बिन्दु का समावेश करते हुए कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया :–

राज्य सरकार के पत्र दिनांक 03–01–2012 के क्रम में 'संस्थान' शब्द को परिभाषित करने हेतु राज्य सरकार से पुनः मार्गदर्शन प्राप्त किया जावें।

एजेण्डा बिन्दु संख्या – मगंसिविबी / बोम–21 / 2013 / 252

प्रबन्ध मण्डल की 20 वीं बैठक दिनांक 18–10–2012 में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

प्रबन्ध मण्डल की 20 वीं बैठक में लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न – पालना प्रतिवेदन

निर्णय :– पालना रिपोर्ट का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या – मगंसिविबी / बोम–21 / 2013 / 253

विश्वविद्यालय के वर्ष 2013–14 के बजट अनुमान एवं वर्ष 2012–13 के संशोधित अनुमान के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय का सामान्य तथा स्ववित्तपोषी योजना का बजट अनुमान वर्ष 2013–14 एवं संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2012–13 प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न :– बजट विवरणिका

निर्णय :– उपरोक्त प्रस्ताव पर उपस्थित सदस्यों द्वारा बिन्दुवार विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा के दौरान माननीय सदस्य प्रो. आर.एन. शर्मा द्वारा नामाकंन शुल्क में आय की राशि कम दर्शाए जाने का उल्लेख किया। वित्त नियंत्रक महोदय ने सदन को अवगत कराया कि इस राशि की प्रविष्ठि संभवतः अन्य मद में हो जाने के कारण यह राशि कम प्रदर्शित है जिसका इसी माह (03/2012) ट्रांसफर एन्ट्री के द्वारा दुरस्तीरण कर दिया जाएगा। माननीय सदस्य ने पुस्तकालय में पुस्तके व जर्नल्स खरीदने हेतु 10.00 लाख रू. के प्रावधान को कम मानते हुए इसे बढाने का सुझाव दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने पुस्तकालय में पुस्तके खरीदने हेतु पुस्तकालय समिति की बैठक आयोजित कर समस्त विभागों से आवश्यकतानुसार पुस्तकों की सूची प्राप्त कर पुस्तके खरीदने का आश्वासन

दिया। तद्नुसार आवश्यक राशि का वर्ष 2013–14 के संशोधित आय–व्यय अनुमान में प्रावधान कर दिया जाएगा। सदन नें अध्यक्ष महोदय के मत से सहमति प्रकट की।

प्रबन्ध मण्डल सदस्यों ने विश्वविद्यालय के स्वयं के नियम/परिनियम बनाने का सुझाव दिया। वित्त नियंत्रक महोदय ने सदन को अगवत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा आदेश क्रमांक 26463 दिनांक 12–10–2011 के द्वारा श्री के.सी.डी. माथुर, जयपुर को विश्वविद्यालय नियम/परिनियम बनाने हेतु अधिकृत किया गया था। नियम/परिनियम के प्रारूप का परीक्षण कर वांछित संशोधन/सुझाव प्रस्तुत करने हेतु गठित समिति के समन्वयक प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल ने सदन को अवगत कराया कि श्री माथुर द्वारा प्रस्तुत नियमों /परिनियमों के प्रस्तुत प्रारूप बार–बार कहने के उपरान्त भी सही प्रस्तुत नही किये जा रहे है। प्रो0 अग्रवाल ने नियम/परिनियम बनाने हेतु पूर्व में किये गये करार को निरस्त कर नवीन कार्यवाही करने का सुझाव दिया।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय नियम/परिनियम बनाने हेतु श्री के.सी.डी. माथुर को दिये गये आदेश को निरस्त करते हुए एक नई समिति गठित कर नियम/परिनियम बनाने की कार्यवाही की जावें। प्रबन्ध मण्डल द्वारा समिति के गठन हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

माननीय सदस्य डॉ. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह ने विश्वविद्यालय चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा वर्ष 2011–12 के अंकेक्षित वार्षिक लेखों के साथ प्रस्तुत अंकेक्षण टिप्पणी के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत करते हुए पालना सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। अध्यक्ष महोदय ने वित्त नियंत्रक को पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया । प्रबन्ध मण्डल सदस्यों ने विश्वविद्यालय परिसर में प्लान्टेन्शन एवं लैण्ड स्केपिंग मद में बजट प्रावधान होते हुए भी इन मदों में कम व्यय होने पर आपत्ति प्रकट करते हुए आगामी वित्त वर्ष में इस हेतु समुचित कार्यवाही करने का सुझाव दिया। माननीय सदस्यों ने मत प्रकट किया कि विभिन्न मदों में उपलब्ध प्रावधानानुसार समयबद्ध व्यय किया जाना चाहिए ताकि विश्वविद्यालय का समुचित विकास हो सके।

उपरोक्तानुसार व्यापक चर्चा के उपरान्त प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय के वर्ष 2012–13 के संशोधित आय–व्यय अनुमान, वर्ष 2013–14 के आय–व्यय अनुमान एवं वर्ष 2011–12 की अंकेक्षित वार्षिक लेखा रिपोर्ट का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या – मगंसिविबी/बोम–21/2013/254

<u>विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 के अनुमोदन का प्रस्ताव</u> :–

वर्ष 2012–13 में विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित प्रशासनिक, वित्तीय, शैक्षणिक एवं परीक्षा सम्बन्धी कार्यकलापों के सम्बन्ध में तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ, विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न – वार्षिक प्रतिवेदन

<u>निर्णय</u> :– विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन के **University Organisation** बिन्दु में प्रबन्ध मण्डल, विद्या परिषद एवं अध्ययन मण्डल को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय के वर्ष 2012–13 के वार्षिक प्रतिवेदन का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

शेष एजेण्डा बिन्दु स्थगित करते हुए प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

अन्य बिन्दु – अध्यक्ष महोदय की अनुमति से –

(1) राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर एवं राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर को विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय बनाने हेतु राज्य सरकार को पत्र लिखे जाने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

(2) विश्वविद्यालय में कुलसचिव के पदस्थापन हेतु राज्य सरकार को पत्र लिखे जाने का निर्णय लिया गया ताकि शेष रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की जा सके।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव